रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92 REGD. NO. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 250] नई दिल्ली, सोमवार, जून 1, 1992/ज्येष्ठ 11, 1914
No. 250] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 1, 1992/JYAISTHA 11, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 1992

सा.का.नि. 569(अ):—केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुरगांव पत्तन न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में मुरगांव पत्तन कर्मचारी (आवासों का आवंटन) पहला संशोधन) विनियम, 1992 का अनुमोदन करती है ।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

अनुसूची

मु.प.क. (आवासों का आबंटन) (पहला संशोधन) विनियम, 1992

प्रमुख पत्तन अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मुरगांव पत्तन न्यासी मंडल एतद्द्वारा मुरगांव पत्तन कर्मचारी (आवासों का आबंटन) विनियम, 1987 के संशोधनार्थ निम्नलिखित विनियम बनाते है :

(1) संक्षिप्त नाम : इन विनियमों को मुरगांव पत्तन कर्मचारी (आवासों का आबंटन) पहला संशोधन विनियम, 1992 कहा जाएगा ।

(2) ये विनियम केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे :

2. विनियम 9(2) का संशोधन विनियम 9(2) में विद्यमान "अध्यक्ष" शब्द को "अध्यक्ष के नेतृत्व में, उपाध्यक्ष तथा दो विभाग प्रधानों की एक समिति" से प्रतिस्थापित किया जाए।

3. विनियम 11(1) का संशोधन : उपर्युक्त विनियम से (सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जाने वाली किसी अन्य अतिरिक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई" शब्दों को छोड़ दिया जाए।

4. विनियम 11(2) का संशोधन: उपर्युक्त विनियम की पंक्ति–7 में आनेवाले अंक "3" को अंक "2" में प्रतिस्थापित किया जाए।

[सं. पी.आर.–12016/4/92–पी.ई.]

अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 1992

G.S.R. 569(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (i) of Section 124, read with sub-section (i) of section 132 of the Major Ports Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Mormugao Port Employees (Allotment of Residences) (First Amendment) Regulations, 1992 made by the Board of Trustees for the Port of Mormugao and set out in the schedule annexed to this Notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

M.P.E. (Allotment of Residences) (First Amendment) Regulations, 1992

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (28 of 1963), the Board of Trustees of the Mormugao Port Trust hereby makes the following regulations further to amend the Mormugao Port Employees (Allotment of Residences) Regulations, 1987 :

(i) Short Title.—These Regulations may be called the Mormugao Port Employees (Allotment of Residences) (First Amendment) Regulations, 1992.

(ii) They shall come into force from the date of the approval of the Central Government is published in the Gazette of India.

2. Amendment to Regulation 9(2).—Replace the existing word "Chairman" appearing in Regulation 9(2) by "a Committee consisting of Dy. Chairman and two Heads of Departments, headed by Chairman."

3. Amendment to Regulation 11(i).—Omit the words "in addition to any other disciplinary action which may be taken by the competent authority" from the above regulation.

4. Amendment to Regulation 11(ii).—Substitute figure "3" appearing in line 7 of the above Regulation by figure "2".

[No. PR-12016|4|92-PE.I]

ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

Foot Note :—Principal Regulations : G. S. R. No. 477(E) dated 12-5-87.
Subsequent Amendment : G. S. R. No. 867(E) dated 29-9-89.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992